

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/UP/WATER/150514/2021

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- (ii) जिला
- (iii) वन प्रभाग
- (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
- (v) वन की कानूनी स्थिति
- (vi) हरियाली का घनत्व
- (vii) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)।
सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0, एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0 मीटर भी संलग्न किए जाए
- (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
- (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे ।

- जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलैथा, बचावली एवं बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित आरक्षित वनभूमि 0.408 हे0 व संरक्षित वनभूमि 6.2793 हे0 कुल 6.6873 हे0 वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति
- उत्तर प्रदेश
- झांसी
- झांसी वन प्रभाग, झांसी
- 6.6873 है0
- (आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि) द एरिया इज कवर्ड अन्दर वर्किंग सर्किल वर्किंग प्लान
- 0.30
- शून्य
- भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
- शून्य
- प्रस्तावित वन भूमि, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर का भाग नहीं है (प्रमाण पत्र संलग्न है)
- नहीं है

83

- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। - नहीं है
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, जो जांचे गये विकल्पी के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है - प्रस्तावित आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है (प्रमाण पत्र संलग्न है)
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। - नहीं है
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा - संलग्न है
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार - प्रतिपूरक वृक्षारोपण 13.38 अर्थात् 13.40 हे० बघौरा आरक्षित वनभूमि, रेंज बबीना में अवनत वनभूमि पर किया जायेगा। भूखण्ड की सं० - 1
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप - संलग्न है
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयक एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि - शीशम, नीम, सिरस, सागौन आदि प्रजातियाँ गडढा में रोपित की जायेगी।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय - 2485773.00 (चौबीस लाख पचिच्यासी हजार हजार सात सौ तिहत्तर रु० मात्र) संलग्न है
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। - संलग्न है
- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें। - संलग्न है

- 12 विभाग/जिला प्रोफाईल
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र — 5054 वर्ग किमी०
- (ii) जिले का वन क्षेत्र — 33422.920 है०
- (iii) मामलों की सं० सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र — 13 (तेरह)
क्षेत्रफल—188.23732 है०
- (iv) 1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि — 98.099 है०
- (ख) वनेतर भूमि पर —
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर — 94.03 है०
- (ख) वनेतर भूमि पर — 734.209 है०
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है

तिथि - 06.05.2022

स्थान - झांसी

हस्ताक्षर :

नाम :

सरकारी मोहर :

(वी०के० मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी


अभिहित

(एम०पी० गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी